



दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2008-2009

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2008

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2008-2009

वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 13 अनुदान शामिल हैं। 55,604.83 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 42,480.10 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 13,124.69 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 4 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2008-2009.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2008-2009 includes 13 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 55,604.83 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 42,480.10 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 13,124.69 crore. Besides, token provision of Rs. 4 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) (i) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (45 करोड़ रुपए), (ii) टाटा मैमोरियल सेंटर (10.50 करोड़ रुपए), (iii) साह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स (26.14 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान (iv) विश्वविद्यालयों को सहायता (8.40 करोड़ रुपए) (v) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस (1.46 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research (Rs. 45 crore), (ii) Tata Memorial Centre (Rs. 10.50 crore), (iii) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs. 26.14 crore), (iv) Assistance to Universities (Rs. 8.40 crore) and (v) Institute of Mathematical Sciences (Rs. 1.46 crore).	51.39	-	51.39
(ख) (i) भारतीय यूरेनियम कारपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी निवेश (56 करोड़ रुपए) और (ii) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाओं पर व्यय (70 करोड़ रुपए), डीएई परियोजनाएं (22.36 करोड़ रुपए), नाभिकीय ईंधन परिसर (6.26 करोड़ रुपए) और बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी (5.50 करोड़ रुपए) हेतु।	(b) For (i) equity investment in Uranium Corporation of India Limited (Rs. 56 crore) and (ii) expenditure on projects of Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 70 crore), DAE Projects (Rs. 22.36 crore), Nuclear Fuel Complex (Rs. 6.26 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (Rs. 5.50 crore).	144.70		144.70
(ग) भारी जल संयंत्रों के अन्तर्गत व्यय हेतु (26.97 करोड़ रुपए)।	(c) For expenditure under Heavy Water Plants (Rs. 26.97 crore).	-	23.04	23.04
(घ) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र के भूमि अधिग्रहण मामलों के सम्बन्ध में कोर्ट-डिक्री के अनुसार क्षतिपूर्ति निपटान हेतु।	(d) For settlement of compensation as per court decree relating to land acquisition cases of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology.	-	1.00	1.00
(ङ) (i) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (20 करोड़ रुपए), (ii) वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (12.71 करोड़ रुपए), (iii) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (5.70 करोड़ रुपए), (iv) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (5 करोड़ रुपए) और (v) परमाणु खनिज प्रभाग (2.54 करोड़ रुपए)।	(e) For expenditure on projects of (i) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Rs. 20 crore), (ii) Variable Energy Cyclotron Centre (Rs. 12.71 crore), (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Rs. 5.70 crore), (iv) Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 5 crore) and (v) Atomic Minerals Division (Rs. 2.54 crore).	39.91	-	39.91
(च) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के अन्तर्गत व्यय हेतु	(f) For expenditure under Research and Development activities of Bhabha Atomic Research Centre.	-	6.17	6.17
5. नाभिकीय विद्युत योजनाएं	5 Nuclear Power Schemes			
(क) कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना हेतु अतिरिक्त व्यय के लिए।	(a) For additional expenditure for Kudankulam Nuclear Power Project.	145.98	-	145.98

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु	(b) For additional equity investment in Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited.	105.00	-	105.00
(ग) कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना हेतु रूसी ऋण के पास थ्रू की एवज में ऋण।	(c) For loan against pass through of Russian credit for Kudankulam Nuclear Power Project.	75.02	-	75.02
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7. उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
(i) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (12327.69 करोड़ रुपए), (ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (4000 करोड़ रुपए) और (iii) स्वदेशी उर्वरक (4452.37 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी हेतु।	For subsidy on (i) imported decontrolled fertilisers (Rs. 12327.69 crore), (ii) indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 4000 crore) and (iii) indigenous fertilisers (Rs. 4452.37 crore).	-	6,000.00	6,000.00
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
सीमान्त उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में सम निर्यातों पर शुल्क वापसी दावों के निपटान तथा केन्द्रीय विक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु।	For settlement of duty drawback claims on deemed exports towards terminal excise duty and reimbursement of Central Sales Tax.	-	956.69	956.69
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी हेतु।	For Food Subsidy to Food Corporation of India.	-	6,500.00	6,500.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा पेंशन	20 Defence Pensions			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of pensions on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	2,728.20	2,728.20
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
निम्नलिखित को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (2300 करोड़ रुपए), (ख) लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (2400 करोड़ रुपए), (ग) शहरी अवसंरचना और अभिशासनसंबंधी उप-मिशन (1300 करोड़ रुपए), (घ) एकीकृत आवास एवं स्लम विकास (500 करोड़ रुपए) और (ङ) अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1000 करोड़ रुपए)।	For providing additional grants to (a) Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme (Rs. 2300 crore), (b) Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns (Rs. 2400 crore), (c) Sub Mission on Urban Infrastructure and Governance (Rs. 1300 crore), (d) Integrated Housing and Slum Development (Rs. 500 crore) and (e) National Social Assistance Programme including Anapurna (Rs. 1000 crore).	7,500.00	-	7,500.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवाओं को त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम की योजना के लिए विद्युत वित्त निगम (325 करोड़ रुपए) के जरिए ऋण प्रदान करने हेतु।	For loans to the State Power Utilities through Power Finance Corporation (Rs. 325 crore) for the scheme of Accelerated Power Development and Reform Programme.	103.00	-	103.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
80 ग्रामीण विकास विभाग	80 Department of Rural Development			
निम्नलिखित के लिए (क) ग्रामीण आवास के तहत इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त व्यय की	For (a) meeting the additional expenditure for Indira Awaas Yojana under Rural Housing (Rs.			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पूर्ति हेतु (2745 करोड़ रुपए); (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (180 करोड़ रुपए), (ग) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में क्रेडिट करने हेतु (3500 करोड़ रुपए), (घ) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का खाद्य संघटक (6750 करोड़ रुपए), (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (900 करोड़ रुपए) और (च) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान में संवर्धन हेतु (1175 करोड़ रुपए)।	2745 crore), (b) Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (Rs. 180 crore), (c) crediting National Employment Guarantee Fund (Rs. 3500 crore), (d) Foodgrains Component of Sampurna Gramin Rozgar Yojana (Rs. 6750 crore), (e) meeting the additional requirement of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs. 900 crore) and (f) augmenting the lump sum provision for the benefit of North Eastern Region (Rs. 1175 crore).	14,500.00	-	14,500.00
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87 पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु।	87 Department of Road Transport and Highways For meeting committed expenditure on development works of National Highways.	500.00	-	500.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के प्रावधान सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	92 Ministry of Textiles For meeting additional expenditure of Technology Upgradation Fund Scheme including provisions for the benefit of North Eastern Region.	1,400.00	-	1400.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए (क) निवेश (446 करोड़ रुपए), (ख) पास थ्रू सहायता (1198 करोड़ रुपए) और (ग) केन्द्रीय करों के लिए अधीनस्थ ऋण (56 करोड़ रुपए)।	100 Department of Urban Development For (a) Investment (Rs. 446 crore), (b) Pass Through Assistance (Rs.1198 crore) and (c) Subordinate Debt for Central Taxes (Rs.56 crore), of Delhi Metro Rail Corporation Limited.	1,700.00	-	1700.00
जोड़ नकद व्यय	Total Cash Outgo	26,265.00	16,215.10	42,480.10
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 13,124.69 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी, पूर्ति अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों से की जाती है। मुख्य मदें निम्नलिखित हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs.13,124.69 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The main items are as follows:			
अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for Grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा भारी जल संयंत्रों के तहत व्यय हेतु (26.97 करोड़ रुपए)।	4 Atomic Energy For expenditure under Heavy Water Plants (Rs. 26.97 crore)	-	3.93	3.93
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7. उर्वरक विभाग निम्नलिखित पर सब्सिडी हेतु (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (12327.69 करोड़ रुपए), (ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (4000 करोड़ रुपए) और स्वदेशी उर्वरक (4452.37 करोड़ रुपए)	7 Department of Fertilisers For subsidy on (i) imported decontrolled fertilisers (Rs. 12327.69 crore), (ii) indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 4000 crore) and (iii) indigenous fertilisers (Rs. 4452.37 crore).	-	7,656.06	7,656.06
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता हेतु।	35 Transfers to State and Union Territory Governments For assistance to States from National Calamity Contingency Fund.	-	1,464.70	1,464.70

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
80 ग्रामीण विकास विभाग	80 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।	For additional expenditure under National Rural Employment Guarantee Scheme	3,500.00	-	3,500.00
पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87. सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग	87 Department of Road Transport and Highways			
राज्य राजमार्गों (सड़क तथा पुल) हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान हेतु	For Grants from Central Road Fund for State Highways (Roads and Bridges).	500.00	-	500.00
जोड़ तकनीकी	Total Technical	4,000.00	9,124.69	13,124.69
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से की जाएगी।	4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगे	Token Supplementary Demands for Grants			
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) दक्षता विकास पहल सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु	(a) For meeting expenditure on Skill Development Initiative.	21.00	-	21.00
(ख) राज्य सरकारों को 146 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना/आईटीआई के उन्नयन हेतु और अनुदेशक प्रशिक्षण विंग की स्थापना हेतु तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु पहले से हाथ में लिए गए 242 आईटीआई की दूसरे वर्ष की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For Grants-in-aid to State Governments towards 146 Industrial Training Institutes (ITIs) for establishment of Centres of Excellence/Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wings and for meeting second year requirement for 242 ITIs already taken up for upgradation under Vocational Training Improvement Project.	99.00	-	99.00
(ग) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को 146 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना/आईटीआई के उन्नयन हेतु और अनुदेशक प्रशिक्षण विंग की स्थापना हेतु तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु पहले से हाथ में लिए गए 242 आईटीआई की दूसरे वर्ष की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(c) For Grants-in-aid to Union Territory Governments towards 146 Industrial Training Institutes (ITIs) for establishment of Centres of Excellence/Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wings and for meeting second year requirement for 242 ITIs already taken up for upgradation under Vocational Training Improvement Project.	1.00	-	1.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
त्वरित विद्युत विकास स्कीम तथा सुधार कार्यक्रम हेतु विद्युत वित्त निगम के जरिए राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवाओं हेतु सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid to the State Power Utilities through Power Finance Corporation for the scheme of Accelerated Power Development and Reform Programme.	24.00	-	24.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.04	-	0.04
कुल जोड़	GRAND TOTAL	30,265.04	25,339.79	55,604.83
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	26,265.00	16,215.10	42,480.10
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	4,000.00	9,124.69	13,124.69
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.04	-	0.04

विषय सूची
CONTENTS

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page		
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4. परमाणु ऊर्जा	भारित स्वीकृत	4. Atomic Energy	Charged	...	1.00	1.00	
5. न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	51.39	217.75	269.14	1-2
			Voted	145.98	180.02	326.00	3
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
7. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	13656.06	...	13656.06	4-5
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	956.69	...	956.69	6
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	16. Department of Food and Public Distribution	Voted	6500.00	...	6500.00	7
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	20. Defence Pensions	Voted	2728.20	...	2728.20	8
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	स्वीकृत	35. Transfers to State and Union territory Governments	Voted	8964.70	...	8964.70	9
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.03	...	0.03	10
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	0.01	103.00	103.01	11
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
80. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	80. Department of Rural Development	Voted	18000.00	...	18000.00	12-13
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
87. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	स्वीकृत	87. Department of Road Transport and Highways	Voted	500.00	500.00	1000.00	14
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	1400.00	...	1400.00	15
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
100. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	100. Department of Urban Development	Voted	...	1700.00	1700.00	16
कुल जोड़		GRAND TOTAL		52903.06	2701.77	55604.83	
	भारित		Charged	...	1.00	1.00	
	स्वीकृत		Voted	52903.06	2700.77	55603.83	

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 तथा केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पूरक मांगों की पहली बैच का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 6 of First Batch of Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	2919.24	4922.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:		
	स्वीकृत	Voted:	609.12	646.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	भारित	Charged:	...	1.00
	स्वीकृत	Voted:	51.39	269.14
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged:	1.00	3.00
	स्वीकृत	Voted:	3579.75	5838.15

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत	3401-Atomic Energy Research	Voted:	51.39 (का) ... 51.39
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4861- Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted:	144.70 (खब) 26.97 (गं) 171.67
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	भारित	5401- Capital Outlay on Atomic Energy Research	Charged:	...
	स्वीकृत		Voted:	39.91 (खे) 6.17 (चफ) 46.08
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section		
	भारित		Charged:	...
	स्वीकृत		Voted:	184.61 33.14 217.75
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		
	भारित		Charged:	...
	स्वीकृत		Voted:	236.00 34.14 270.14

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

The supplementary grant/appropriation is sought for :

- (क) इनको सहायता अनुदान (i) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (45 करोड़ रुपए) (ii) टाटा मेमोरियल सेंटर (10.50 करोड़ रुपए) (iii) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स (26.14 करोड़ रुपए) (iv) विश्वविद्यालयों को सहायता (8.40 करोड़ रुपए) (v) इंस्टीट्यूट ऑफ मेथेमेटीकल साइंस (1.46 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के उपयोग करने के पश्चात् इसमें 51.39 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (a) Grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research (Rs. 45 crore), (ii) Tata Memorial Centre (Rs. 10.50 crore), (iii) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs. 26.14 crore), (iv) Assistance to Universities (Rs. 8.40 crore) and (v) Institute of Mathematical Sciences (Rs. 1.46 crore). After utilising the savings within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 51.39 crore.

- (ख) (i) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इक्विटी निवेश (56.00 करोड़ रुपए) तथा (ii) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाओं हेतु व्यय (70 करोड़ रुपए), डीएई परियोजनाएं (22.36 करोड़ रुपए), न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (6.26 करोड़ रुपए) तथा बोर्ड ऑफ रेडिएशन एण्ड आइसोटोप टेक्नॉलॉजी (5.50 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें 144.70 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (ग) हेवी वाटर प्लांट्स के तहत व्यय (26.97 करोड़ रुपए)। राजस्व भाग में 3.93 करोड़ रुपए की बचतों जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, का उपयोग करने के बाद इसमें 23.04 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (घ) राजा रमन्न सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी के भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित न्यायालय डिक्री के अनुसार क्षतिपूर्ति निपटान। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ङ) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय (20 करोड़ रुपए), वेरिबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेन्टर (12.71 करोड़ रुपए), राजारमन सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी (5.70 करोड़ रुपए), भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर (5 करोड़ रुपए) तथा एटॉमिक मिनरल्स डिविजन (2.54 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें 39.91 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (च) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान और विकास गतिविधियों के तहत व्यय। इसमें नगद व्यय होगा।
- (b) (i) equity investment in Uranium Corporation of India Limited (Rs. 56.00 crore), and (ii) expenditure for the projects of Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 70 crore), DAE Projects (Rs. 22.36 crore), Nuclear Fuel Complex (Rs. 6.26 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (Rs. 5.50 crore). After utilising the savings within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 144.70 crore.
- (c) expenditure under Heavy Water Plants (Rs. 26.97 crore). After utilising the savings of Rs. 3.93 crore under Revenue Section which will be surrendered, this will entail net cash outgo of Rs. 23.04 crore.
- (d) settlement of compensation as per court decree relating to land acquisition cases of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology. This will entail cash outgo.
- (e) additional expenditure of projects of Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Rs. 20 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (Rs. 12.71 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Rs. 5.70 crore), Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 5 crore) and Atomic Minerals Division (Rs. 2.54 crore). After utilising the savings within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 39.91 crore.
- (f) expenditure under Research and Development activities of Bhabha Atomic Research Centre. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.5
नाभिकीय विद्युत योजनाएं
NUCLEAR POWER SCHEMES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 तथा केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 7 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1486.40	1526.88	3013.28
I. पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	6.23	...	6.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 145.98	180.02	326.00
	स्वीकृत	Voted:	1638.61	1706.90	3345.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted: 145.98 (क)	...	145.98
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital Outlay on Power Project	Voted: 105.00 (ख)	...	105.00
6801-विद्युत परियोजनाओं पर ऋण	स्वीकृत	6801-Loans for Power Projects	Voted: 75.02 (ग)	...	75.02
जोड़ - पूंजी भाग		Total Capital Section	180.02	...	180.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 326.00	...	326.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना हेतु नाभिकीय ईंधन के लिए अतिरिक्त व्यय।

(ख) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी निवेश।

(ग) कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना हेतु रूसी ऋण के पास थ्रू के एवज में ऋण।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

(a) additional expenditure for Nuclear Fuel for Kudankulam Nuclear Power Project.

(b) additional equity investment in Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Ltd.

(c) loan against pass through of Russian credit for Kudankulam Nuclear Power Project.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 9 of the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	34335.51	46.04	34381.55
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	52865.56	...	52865.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	13656.06	13656.06
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	100857.13	46.04
					100903.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan			आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	9203.69 (का)	9203.69
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	4452.37 (खब)	4452.37
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	13656.06	13656.06

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दी गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	(-) 203.69	(-) 203.69
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	(-) 1452.37	(-) 1452.37

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दी गई प्राप्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts, shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
8012-विशेष जमाराशियां और खाते	स्वीकृत	8012- Special Deposits and Accounts	...	(-) 6000.00	(-) 6000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आवश्यक है:

(क) (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (12327.69 करोड़ रुपए)।

चूंकि 7124 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि हेतु पूरक मांगा गया है।

(ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (4000 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) subsidy on imported decontrolled fertilizers (Rs. 12327.69 crore).

As savings of Rs. 7124 crore are available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought.

(ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilizers (Rs. 4000 crore)

(ख) स्वदेशी उर्वरकों पर सब्सिडी (4452.37 करोड़ रुपए)।

आयातित विनियंत्रित उर्वरकों (203.69 करोड़ रुपए) और स्वदेशी उर्वरकों (1452.37 करोड़ रुपए) के कारण हुई वसूलियों को ध्यान में रखने के बाद और उर्वरक यूनिटों को 6000 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पश्चात् (स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक-2000 करोड़, आयातित विनियंत्रित उर्वरक-2500 करोड़ रुपए और नाइट्रोजनी उर्वरक-1500 करोड़ रुपए), जिसमें नकद व्यय नहीं होगा, निवल-नकद व्यय 6000 करोड़ रुपए होगा।

(b) subsidy on indigenous fertilizers (Rs. 4452.37 crore).

After taking into account recoveries on imported decontrolled fertilizers (Rs. 203.69 crore) and indigenous fertilizers (Rs. 1452.37 crore) and after providing compensation through issue of Special Securities to the Fertiliser Units of Rs. 6000 crore (indigenous decontrolled fertilizers-Rs. 2000 crore, imported decontrolled fertilizers-Rs. 2500 crore and nitrogenous fertilizers-Rs. 1500 crore) which does not entail cash outgo, the net cash outgo will be Rs. 6000 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 तथा केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 13 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	0.50	0.50
	स्वीकृत	Voted:	2823.74	3534.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:		
	भारित	Charged:	0.01	0.01
	स्वीकृत	Voted:	360.66	360.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	956.69	956.69
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged:	0.51	0.51
	स्वीकृत	Voted:	4141.09	4852.10

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
3453-विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	3453- Foreign Trade and Export Promotion		
		Voted:	...	956.69

यह पूरक अनुदान सीमान्त उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में समनिर्यातों पर शुल्क वापसी के लम्बित दावों का निपटान करने तथा केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for settlement of pending claims of duty drawback on deemed exports towards terminal excise duty and reimbursement of Central Sales Tax. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.16

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।
(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 20 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	33735.55	375.45
				34111.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	1.64	...
	स्वीकृत	Voted:	5109.45	...
				5109.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	6500.00	...
				6500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		45346.64	375.45
	भारित	Charged:	1.64	...
	स्वीकृत	Voted:	45345.00	375.45
				45720.45

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागारण	2408- Food, Storage and Warehousing			
	स्वीकृत	Voted:	...	6500.00
				6500.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सप्लिडी (6500.00 करोड़ रुपए) हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the Food Subsidy to Food Corporation of India (Rs.6500.00 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों की बैच का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT			
	भारित	Charged:	0.25	...
	स्वीकृत	Voted:	15563.75	...
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1941.00	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	2728.20	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		20233.20	...
	भारित	Charged:	0.25	...
	स्वीकृत	Voted:	20232.95	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन एवं अन्य	2071- Pensions and Other			
सेवा निवृत्ति लाभ	Retirement Benefits	Voted:	...	2728.20
				2728.20

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पेंशन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नगद व्यय होगा।

The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure on account of pensions on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।
(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 42 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	34392.42	4867.50	39259.92
	स्वीकृत	Voted:	52083.34	...	52083.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	...	2000.00	2000.00
	स्वीकृत	Voted:	3240.66	...	3240.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	8964.70	...	8964.70
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		98681.12	6867.50	105548.62
	भारित	Charged:	34392.42	6867.50	41259.92
	स्वीकृत	Voted:	64288.70	...	64288.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245-प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत	2245- Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	1464.70 (का)
3681-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	7500.00 (खब)	...
जोड़ पूरक भाग	Total Supplementary	Voted:	7500.00	1464.70
				8964.70

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूली शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recovery shown below which is adjusted in reduction of expenditure.

2245-प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत	2245- Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	(-1464.70)	(-1464.70)
---------------------------------	---	--------	-----	------------	------------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:-

- (क) आपदाओं हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु (1464.70 करोड़ रुपए)। चूंकि यह राशि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से पूरी की जाएगी, अतः इसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु:-
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (एआईबीपी) (2300 करोड़ रुपए)।
 - लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी) (2400 करोड़ रुपए), शहरी अवसंरचना और शासन सम्बन्धी उप-मिशन (एसएमयूआईजी) (1300 करोड़ रुपए) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास (आईएचएसडीपी) (500 करोड़ रुपए)।
 - अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (1000 करोड़ रुपए)।

इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- For assistance to the States from National Calamity Contingency Fund (NCCF) for calamities (Rs.1464.70 crore). Since the amount will be met from the NCCF, this will not entail net cash outgo.
- To provide additional grants to:-
 - Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme (AIBP) (Rs.2300 crore).
 - Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns (UIDSSMT) (Rs.2400 crore), Sub Mission on Urban Infrastructure and Governance (SM-UIG) (Rs.1300 crore) and Integrated Housing and Slum Development (IHSDP) (Rs.500 crore).
 - National Social Assistance Programme (NSAP) including Anapurna (Rs.1000 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)।
(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 75 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	2368.36	129.65
				2498.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	117.35	625.00
				742.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...
				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2485.76	754.65	3240.41
	भारित	Charged:	0.02	...
	स्वीकृत	Voted:	2485.74	754.65
				3240.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम एवं रोजगार	2230- Labour and Employment			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...
				0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (खब)	...
				0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (गक)	...
				0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.03	...	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं:

(क) दक्षता विकास पहल संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (21 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) और (ग) 146 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र/आईटीआई के उन्नयन और अनुदेशक प्रशिक्षण स्कंधों की स्थापना और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत 242 आईटीआई के उन्नयन के लिए जिनमें पहले ही कार्य आरंभ हो चुका है, दूसरे वर्ष की आवश्यकता के लिए जिसके लिए राज्य सरकारों (99 करोड़ रुपए) (ii) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (1 करोड़ रुपए) को भी सहायता अनुदान। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure on Skill Development Initiative (SDI) (Rs.21 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) & (c): Grants-in-aid for 146 ITIs for establishment of Centres of Excellence/Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wings and also for second year requirement for 242 ITIs already taken up for upgradation under Vocational Training Improvement Project (VTIP) to (i) State Governments (Rs.99 crore) and (ii) Union Territory Governments (Rs.1 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)।
(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 92 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	6089.20	306.56	6395.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	29.79	...	29.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	103.00	103.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	6119.00	409.56	6528.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	स्वीकृत 2801-Power	0.01 (का)	...	0.01
कुल राजस्व भाग	स्वीकृत Total Revenue Section	0.01	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	स्वीकृत 6801-Loans for Power Projects	103.00 (खब)	...	103.00
जोड़-(पूंजी भाग)	स्वीकृत Total-(Capital Section)	103.00	...	103.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	103.01	...	103.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की योजना हेतु विद्युत वित्त निगम के माध्यम से राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवाओं को सहायता अनुदान (24 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

(ख) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) योजना हेतु विद्युत वित्त निगम के माध्यम से राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवाओं को ऋण (325 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि 222 करोड़ रुपए की राशि की पूर्ति अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः इसमें 103 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(a) To provide Grants-in-aid to the State Power Utilities (Rs.24 crore) through Power Finance Corporation for the scheme of Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP). As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) To provide loans to the State Power Utilities (Rs.325 crore) through Power Finance Corporation for the scheme of Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP). As an amount of Rs.222 crore will be met through savings available within same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.103 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 80

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 98 देखिए)।
(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 98 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	51569.81	0.50	51570.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	21360.57	...	21360.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	18000.00	...	18000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	90930.38	0.50	90930.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2216-आवास	स्वीकृत 2216-Housing	Voted:	2745.00 (का)	...	2745.00
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत 2501-Special Programme for Rural Development	Voted:	180.00 (खब)	...	180.00
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत 2505-Rural Employment	Voted:	13750.00 (गक)	...	13750.00
3054-सड़क और पुल	स्वीकृत 3054-Roads and Bridges	Voted:	150.00 (घद)	...	150.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552-North Eastern Areas	Voted:	1175.00 (ङे)	...	1175.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted:	18000.00	...	18000.00

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	(-)	3500.00	...	(-)	3500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- (क) ग्रामीण आवास के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (एनईजीएफ) में 3500 करोड़ रुपए जमा करने हेतु और साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु एनईजीएफ से 3500 करोड़ रुपए की निकासी हेतु। इसमें 3500 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) for meeting the additional requirement of Indira Awaas Yojana under Rural Housing. This will entail cash outgo.
- (b) for meeting the additional requirement of Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana. This will entail cash outgo.
- (c) (i) for crediting Rs.3500 crore to the National Employment Guarantee Fund (NEGF) and also draw Rs.3500 crore from NEGF to meet the additional requirement of National Rural Employment Guarantee Scheme. This will entail cash outgo of Rs. 3500 crore.

- | | |
|---|--|
| <p>(ii) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के खाद्यान्न संघटक हेतु प्रावधान। इसमें 6750 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।</p> <p>(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (900 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 750 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद इसमें 150 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ङ) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं हेतु आशयित एकमुश्त प्रावधान की बढ़ोतरी हेतु जिसमें शामिल है (i) ग्रामीण आवास के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना (305 करोड़ रुपए) (ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (20 करोड़ रुपए), (iii) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का खाद्यान्न संघटक (750 करोड़ रुपए), (iv) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(ii) provision for Foodgrains Component of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana. This will entail cash outgo of Rs. 6750 crore.</p> <p>(d) for meeting the additional requirement of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs. 900 crore). After taking into account savings of Rs. 750 crore available within the same Section of Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 150 crore.</p> <p>(e) for augmentation of the lumpsum provision meant for the projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim comprising (i) Indira Awaas Yojana under Rural Housing (Rs.305 crore), (ii) Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (Rs. 20 crore), (iii) Foodgrains Component of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (Rs. 750 crore) and (iv) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs. 100 crore). This will entail cash outgo.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 87

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 107 देखिए)।
(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 107 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	0.50	7.00
	स्वीकृत	Voted:	12956.73	13346.26
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:		
	स्वीकृत	Voted:	13.22	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	500.00	500.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged:	0.50	7.00
	स्वीकृत	Voted:	13469.95	13846.26
			13470.45	13853.26
			27323.71	27323.71
		Charged:	0.50	7.00
		Voted:	13469.95	13846.26
			27316.21	27316.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments		
		Voted:	500.00 (का)	...
				500.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
5054-सड़क तथा पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5054- Capital Outlay on Roads and Bridges		
		Voted:	500.00 (खब)	...
				500.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		
		Voted:	1000.00	...
				1000.00

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में उस वसूली को शामिल नहीं किया गया है जिसे व्यय से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recovery which is adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments		
		Voted:	- 500.00	...
				- 500.00

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|---|--|
| (क) राज्य राजमार्गों (सड़क तथा पुल) के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (500.00 करोड़ रुपए)। चूंकि इस राशि की पूर्ति केन्द्रीय सड़क निधि से की जाएगी, इसलिए इसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा। | (a) Grants from Central Road Fund for State Highways (Roads & Bridges) (Rs.500 crore). Since the amount will be met from the Central Road Fund, this will not entail net cash outgo. |
| (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों पर वचनबद्ध व्यय (500.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा। | (b) For meeting committed expenditure on development works of National Highways (Rs. 500.00 crore). This will entail cash outgo. |

मांग संख्या DEMAND NO. 92

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 तथा वर्ष 2008-2009 की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 113 देखिए)।
(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 113 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	3064.53	258.98	3323.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	245.05	0.01	245.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	1400.00	...	1400.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	4709.58	258.99	4968.57

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852- Industries	Voted:	1242.00	...	1242.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552- North Eastern Areas	Voted:	158.00	...	158.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	1400.00	...	1400.00

यह पूरक अनुदान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for meeting the additional expenditure of Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 100

शहरी विकास विभाग
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 128 देखिए)।
(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 128 of the First Supplementary Demands for grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		
	भारित	Charged:	25.55	26.00
	स्वीकृत	Voted:	935.76	2019.38
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:		
	स्वीकृत	Voted:	12.09	400.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		
	स्वीकृत	Voted:	...	1700.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		
	भारित	Charged:	25.55	26.00
	स्वीकृत	Voted:	947.85	4119.38
			973.40	4145.38
			51.55	5118.78
			5067.23	5067.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
4217-शहरी विकास पर		4217-Capital Outlay on Urban		
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Development	Voted:	446.00 (का)
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत	Development	Voted:	1254.00 (खb)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1700.00
			...	1700.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (डीएमआरसी) में निवेश (446.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) डीएमआरसी को पास थ्रू सहायता (पीटीए) के एवज में ऋण प्रदान करने हेतु (1198.00 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय करों के लिए अधीनस्थ ऋण (56.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for following purposes:

(a) Investment in Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC) (Rs.446.00 crore). This will entail cash outgo.

(b) For providing loan to DMRC against Pass Through Assistance (PTA) (Rs.1198.00 crore) and Subordinate Debt for Central Taxes (Rs.56.00 crore). This will entail cash outgo.